राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 231/2022

अशोक कुमार शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारंभिक शिक्षा, अलवर।
4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, रामगढ़, अलवर।
5. प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सहडोली (रामगढ़), जिला अलवर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 25.01.2022
आदेश की दिनांक : 20.03.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राम बाबू शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डप्पा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 22.12.2021 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि ए.सी.पी./चयनित वेतनमान जो पूर्व में स्वीकृत किया गया था। उसे निरस्त ना किया जाए और अग्रिम वेतन निर्धारित किया जाए तथा समस्त सेवानिवृत्ति परिलाभ दिए जाने के आदेश फरमाए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अनुकम्पा के तहत अप्रशिक्षित अध्यापक के रूप में दिनांक 18.11.1987 के द्वारा हुई थी और उसने अध्यापक के पद पर दिनांक 17.03.1988 को कार्यग्रहण किया। आदेश दिनांक 02.11.1994 के द्वारा अपीलार्थी को बी.एड. की योग्यता अर्जित करने के लिए अनुमति प्रदान की गई और अपीलार्थी ने वर्ष 1992–93 में दिनांक 17.04.1996 को उक्त योग्यता अर्जित की। तत्समय अपीलार्थी राजकीय प्राथमिक विद्यालय, रायपुर खुर्द (नगर) में पदस्थापित था और आदेश दिनांक 17.04.1996 के द्वारा स्टेण्डिंग कमेटी के माध्यम से दिनांक

15.12.1997 को अपीलार्थी की सेवाएं स्थायी की गई। अपीलार्थी की सेवाएं 9 वर्ष पूर्ण होने पर उसे प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ आदेश दिनांक 19.03.2004 के द्वारा दिया गया और आदेश दिनांक 06.07.2007 के द्वारा उसे वरिष्ठ वेतनमान दिया गया, जो अनुलग्नक–7 एवं 8 से प्रकट होता है। अपीलार्थी के अर्द्धवार्षिकी आयु होने पर उसे दिनांक 31.12.2021 को आदेश दिनांक 01.01.2022 के द्वारा सेवानिवृत्त कर दिया गया। तत्पश्चात् प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.12.2021 के द्वारा अपीलार्थी की स्वीकृत ए.सी.पी. को उसके प्रारंभिक नियुक्ति के आधार पर निरस्त कर दी गई और बी.एड. की योग्यता उत्तीर्ण करने की तिथि से ए.सी.पी. जारी करने हेतु नया प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया। प्रत्यर्थी संख्या 5 के आदेश दिनांक 08.01.2022 के द्वारा भी बी.एड. की योग्यता उत्तीर्ण करने के बाद से चयनित वेतनमान के भुगतान की अनुशंषा की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा गोविन्द सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 2549/2002 में पारित आदेश दिनांक 20.05.2003 आदेश की ओर अधिकरण का ध्यान आकर्षित किया। इसी तरह पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम रफीक मसीह सिविल अपील संख्या 11527/2014 एस.एल.पी. (सी) संख्या 11684/2012 में पारित निर्णय की ओर अधिकरण का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें ऐसे वसूली आदेशों को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत एवं विधि विरूद्ध माना है।

अतः उपरोक्त आधारों पर अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावे और आलोच्य आदेश दिनांक 22.12.2021 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि ए.सी.पी./चयनित वेतनमान जो पूर्व में स्वीकृत किया गया था। उसे निरस्त ना किया जाए और अग्रिम वेतन निर्धारित किया जाए तथा समस्त सेवानिवृत्ति परिलाभ दिए जाने के आदेश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी की नियुक्ति मुख्य कार्यकारी, जिला परिषद, भरतपुर के आदेश दिनांक 08.03.1988 के द्वारा अप्रशिक्षित अध्यापक के पद पर हुई थी। नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों को अंगीकार एवं स्वीकार कर अपीलार्थी ने दिनांक 18.03.1988 को कार्यभार ग्रहण किया और देय सेवा संबंधित परिलाभों को अंगीकार एवं स्वीकार कर कार्यरत एवं पदस्थापित होते हुए सेवा से दिनांक 31.12.2021 को सेवानिवृत्त हुआ। उनका कथन है कि नियोक्ता द्वारा

सहवन/विधिक भूलवश देय अधिक वेतन भुगतान की वसूली हेतु स्वतंत्र है। इसी क्रम में राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के आदेशों की अनुपालना में आदेश दिनांक 22.12.2021 जारी किया गया है, जो पूर्णतया विधि सम्मत होने से अपील निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अनुकम्पा के तहत अप्रशिक्षित अध्यापक के रूप में दिनांक 18.11.1987 के द्वारा हुई थी और उसने अध्यापक के पद पर दिनांक 17.03.1988 को कार्यग्रहण किया। नियुक्ति आदेश दिनांक में यह शर्त अंकित की गई कि नियमानुसार दो वर्ष की अवधि में एस.टी.सी. अथवा बी.एड. प्रशिक्षण/योग्यता अर्जित करना अनिवार्य है, परंतु दो वर्ष में उक्त योग्यता अर्जित नहीं कर पाने पर आदेश दिनांक 02.11.1994 के द्वारा अपीलार्थी को बी.एड. करने की स्वीकृति प्रदान की गई और अपीलार्थी ने वर्ष 1992–93 में दिनांक 17.04.1996 को उक्त योग्यता अर्जित की। जबकि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की नियुक्ति पत्र में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया कि नियमानुसार दो वर्ष की अवधि में एस.टी.सी. अथवा बी.एड. प्रशिक्षण/योग्यता उत्तीर्ण/अर्जित कर लेना अनिवार्य किया गया था। अपीलार्थी ने दिनांक 17.03.1988 को कार्यग्रहण किया और अनुलग्नक–5 के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि अपीलार्थी ने बी.एड. की योग्यता माह दिसम्बर, 1995 में उत्तीर्ण की, जो कार्यग्रहण के लगभग सात वर्ष बाद योग्यता प्राप्त की। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त योग्यता अर्जित करने के संबंध में अवधि/समय की कोई विशेष छूट प्रदान की गई हो। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 6172/1997 श्रीमती कांता शर्मा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य, 6173/1997 श्रीमती मधु गुप्ता बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य, 6174/1997 श्रीमती सुहासनी फडके बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य, 6175/1997 श्रीमती पुष्पा शर्मा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित हैं :–

> *"(6) In the course of arguments, learned counsel for petitioners submitted that subsequent to issuance of the circular dated 20/7/1991, Government has extended period stipulated in that circular between period of appointment i.e.*

1/7/1976 to 31/8/1991 when the appeal was disposed of by the Tribunal vide order dated 30/9/1997 and the writ petitions were filed on 3/11/1997. No such circular was produced either before the Tribunal or before this Court to show that such period was extended by the Government. But the fact remains that Circular merely entitle the untrained teachers to claim their salary at the minimum of the regular pay scale which would mean that they would start getting usual allowances and increments etc. only after their acquiring equivalence of training. Circular itself shows necessity of obtaining qualificatioin of training for that."

उक्त प्रतिपादित सिद्धान्त में यह स्पष्ट किया गया है कि कार्मिक अप्रशिक्षित अध्यापक के अनुसार अपनी न्यूनतम नियमित वेतनमान प्राप्त करने का हकदार है और अन्य वेतन भत्ते एवं वेतन वृद्धियां आदि वांछित समानक प्रशिक्षण योग्यता उत्तीर्ण करने के बाद ही प्राप्त करने का अधिकारी है। वर्तमान मामला भी उक्त प्रतिपादित सिद्धान्त के समान ही है। अतः अपीलार्थी अप्रशिक्षित अध्यापक के अनुसार अपनी न्यूनतम नियमित वेतनमान प्राप्त करने का हकदार है और अन्य वेतन भत्ते एवं वेतन वृद्धियां आदि वांछित एस.टी.सी./बी.एड./समानक प्रशिक्षण योग्यता उत्तीर्ण करने के बाद ही प्राप्त करने का अधिकारी है।

जहां तक प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को प्रथम चयनित वेतनमान आदेश दिनांक 19.03.2004 एवं सीनियर पे स्केल आदेश दिनांक 06.07.2007 के द्वारा दिए जाने के उपरांत अपीलार्थी से आदेश दिनांक वसूली किए जाने का प्रश्न है, हमारे विनम्र मत में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त चयनित वेतनमानों का लाभ अपीलार्थी को दिए हुए 17 एवं 14 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है तथा अपीलार्थी राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त भी हो चुका है। ऐसे मामलों में कार्मिकों को पूर्व में भुगतान की गई राशि की वसूली किए जाने के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह 2015 (1) SCT 195** के प्रकरण में कार्मिक को भुगतान की गई राशि के सम्बन्ध में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किए हैं :–

"12. It is not possible to postulate all situations of hardship, which would govern employees on the issue of recovery, where payments have mistakenly been made by the employer, in excess of their entitlement. Be that as it may, based on the decisions referred to herein above, we may, as a ready reference, summarise the following

few situations, wherein recoveries by the employers, would be impermissible in law:

- ***(i) Recovery from employees belonging to Class-III and Class-IV service (or Group 'C' and Group 'D' service).***
- ***(ii) Recovery from retired employees, or employees who are due to retire within one year, of the order of recovery.***
- ***(iii) Recovery from employees, when the excess payment has been made for a period in excess of five years, before the order of recovery is issued.***
- ***(iv) Recovery in cases where an employee has wrongfully been required to discharge duties of a higher post, and has been paid accordingly, even though he should have rightfully been required to work against an inferior post.***
- ***(v) In any other case, where the Court arrives at the conclusion, that recovery if made from the employee. would be iniquitious or harsh or arbitrary to such an extent, as would far outweigh the equitable balance of the employer's right to recover."***

यह कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। उन्होने आगे यह भी तर्क दिया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह 2015 (1) SCT 195** वाले प्रकरण में यह अवधारित किया है कि इस प्रकार मामलों में वसूली नहीं की जा सकती है। अपीलार्थी ने कभी भी कोई misrepresentation या धोखाधड़ी नहीं की है। इस कारण उसको जो भुगतान किया गया है, वह नियमानुसार किया गया है। उसकी वसूली किया जाना अवैधानिक है। अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि दिए गए चयनित वेतनमानों की वसूली ना की जाए और अपीलार्थी का वेतन निर्धारण एवं वेतन वृद्धियां नियमानुसार की जावे। उक्त निर्देशों के साथ अपील अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य